<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>पत्र संख्या-693/71-4-2022</u>

प्रेषक,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 21 अक्टूबर, 2022**

विषयः-शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0/ बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-03/2022/2350, दिनांक-11.10.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल एलिजबिलिटी इन्ट्रेन्स टेस्ट (NEET) यू0जी0-2022 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती हैः-

<u>1. अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना</u>-

नीट यू0जी0-2022 के माध्यम से चयनित छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण, डेटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान एवं छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार किये जाने आदि की कार्यवाही हेतु National Informatics Center (NIC) को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों /डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट से प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।

कांउसिलिंग की विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें के0जी0एम0यू0, लखनऊ, डा0 राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा महानिदेशालय के अधिकारी सम्मिलित होंगे, के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

<u>2. अर्हतायें (Eligibility)-</u>

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कांउसिलिंग/प्रवेश हेतु अर्हतायें निम्नवत हैः-

(1) ऐसे छात्र जिन्होने NEET यू0जी0-2022 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो, नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** पर पंजीकरण कराया हो, ही कांउसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।

(2) प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालया/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजो तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं में एम0बी0बी0एस0/ बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष, दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र

आवश्यक नहीं होगा। शेष अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

नोटः NEET यू0जी0-2022 में डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83 दिनांक 18.2.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है, उसी पर डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ब्रोशर में इस हेतु अलग से कोई प्रारूप टंकित नहीं किया जायेगा। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र सबंधी शासनादेश दिनांक 18.2.2003 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी व्यवस्था को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा तथा इसका व्यापक प्रसार (wide circulation) वाले दैनिक हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जायेगा।

<u>3. शैक्षणिक अर्हताएं-</u>

NEET यू0जी0-2022 हेतु एन0टी0ए0 (National Testing Agency) द्वारा जारी ब्रोशर में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी।

<u>4. अभिलेखों का सत्यापन-</u>

NEET यू0जी0-2022 के अन्तर्गत काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन कराया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित अभिलेख अपलोड किए जायेंगे:-

(1) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट मार्कशीट।
(2) आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र।
(3) डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासनादेश के अनुसार (ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षायें अथवा कोई भी एक परीक्षा उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो)

- आवंटन के पश्चात प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों का सत्यापन आवंटित कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जायेगा तथा समस्त अभिलेख मूलरूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना होगा। मूल अभिलेख न होने अथवा अभिलेख गलत पाये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगीः-

(1) NEET यू0जी0-2022 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
(2) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
(3) उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सामान्य निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र ।
(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा) आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण-पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होंगे। अन्य प्रदेशो से जारी आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
(5) अन्य पिछडा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) का प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो तथा दिनांक 01.4.2022 अथवा उसके बाद का जारी किया गया हो, ही मान्य होगा।

(6) पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/पासपोर्ट)

नोटः-

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे तथा वर्तमान सत्र के लिए निर्गत किये गये हो।
- किसी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विवाद/अस्पष्टता के समाधान हेतु विशेष चिकित्सा बोर्ड गठित किया जायेगा।
- एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र (सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग के साथ) नेशनल कैडेट कोर (National Cadet Corps) हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत बटालियन द्वारा जारी किया गया, मान्य होगा।

(7) पंजीकरण के समय ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन निम्नलिखित नोडल सेन्टर पर कराये जायेंगे, पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगाः-

क्र0सं0	नोडल सेण्टर का नाम
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।
4	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।
5	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ।
6	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झॉसी।
7	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
8	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
9	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ।
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर।
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा।
16	राजकीय मेडिकल कालेज, बदॉयू।
17	जिम्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।
18	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती।
20	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
21	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर।
22	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।

5. पंजीकरण शुल्क-

NEET यू0जी0-2022 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/- मात्र प्रति अभ्यर्थी दोनों चक्रों (प्रथम व द्वितीय) की कांउसिलिंग हेतु जमा कराया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया जाता है तथा वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो उसे भी रू0 2000/- (दो हजार मात्र) का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।

मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियो को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मॉपअप राउण्ड हेतु रू0 1,000/- (रू0 एक हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करना होगा।

पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं (non refundable) होगा।

6. धरोहर धनराशि (Security Money)-

धरोहर धनराशि निम्नवत होगी:-

क- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज हेतु-रू0 30000/-
ख- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज हेतु-रू0 2.00 लाख
ग- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज हेतु-रू0 1.00 लाख

जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा, उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।

7- त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में-

अभ्यर्थी को मात्र सीट का आवंटन (Allotment) प्रवेश नहीं माना जायेगा। आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को सबंधित कालेज/नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात् ही प्रवेश माना जायेगा। तत्पश्चात् ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेगा।

(क) यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 की प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात् अभ्यर्थी आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउसिलिंग के माध्यम से किसी अन्य सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय अन्य काउंसिलिंग से आवंटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी उ0प्र0 राज्य की द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व तक (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग दिनांक 24.11.2022 से प्रारम्भ होनी है, तो अभ्यर्थी 21.11.2022 को सायं 04.00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा शिक्षण शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस की जायेगी:-

- ➢ राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- ➢ प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज में प्रवेश ले लिया जाता है तथा अभ्यर्थी को आल इण्डिया/अन्य प्रदेशों की काउंसिलिंग से कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है, फिर भी अभ्यर्थी व्यक्तिगत कारणों से निर्धारित तिथि (द्वितीय चक्र की च्वाइस फिलिंग से दो दिन पहले तक) से पूर्व त्याग पत्र देता है तो ऐसी दशा में शिक्षण शुल्क में से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुये शेष धनराशि एवं धरोहर धनराशि (Security Money) वापस किया जाएगा।

(ख) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु -

प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शैक्षणिक शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

(ग) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु-

प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।

(घ) मॉपअप राउण्ड के पश्चात अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी राजकीय कालेज की प्रवेशित सीट से त्याग पत्र देता है, तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शिक्षण शुल्क (Tution Fee) तथा रू0 1.00 (रू0 एक लाख मात्र) अर्थदण्ड (Penalty) के रूप में देय होगा तथा सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि अभ्यर्थी को सिक्योरिटी धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी उसे जमा करना होगा।

(च) मॉपअप राउण्ड के पश्चात अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी निजी कालेज की प्रवेशित सीट से त्याग पत्र देता है, तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शिक्षण शुल्क (Tution Fee) सम्बन्धित कालेज को देय होगी तथा सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि अभ्यर्थी को सिक्योरिटी धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी उसे जमा करना होगा।

(छ) आवंटन के पश्चात् प्रवेश न लेने की दशा में धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी। प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।

<u>8. काउंसिलिंग बोर्ड-</u>

NEET यू0जी0-2022 की कांउसिलिंग हेतु बोर्ड का गठन निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	**कांउसिलिंग बोर्ड हेतु नामित अधिकारियों का विवरण**	**कांउसिलिंग बोर्ड में अधिकारियों की प्रास्थिति**	**प्रस्तावित नाम**
1	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 **(पदेन)**	अध्यक्ष	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 **(पदेन)**
2	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य	श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
3	शासन द्वारा नामित किसी मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/ प्रोफेसर	सदस्य	**<u>अनुसूचित जाति</u>** डा0 ऋषिपाल, आचार्य, फार्माकोलॉजी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ **<u>अन्य पिछड़ा वर्ग</u>** डा0 दिलीप कुमार वर्मा, प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ **<u>अनारक्षित श्रेणी</u>** डा0 संदीप भट्टाचार्य, आचार्य, फिजियोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0 लखनऊ **<u>अल्पसंख्यक श्रेणी</u>** डा0 अमीरूल हसन, आचार्य, कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग, मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
	मुख्यालय से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य	

	निजी क्षेत्र के मेडिकल/ डेण्टल एसोसिएशन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सह सदस्य	एसोसिएशन आफ प्राईवेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कालेजेज आफ यू0पी0 द्वारा नामित एक प्रतिनिधि
	मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2017 (दार-उस-सलाम) के अनुपालन में अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा नामित प्रतिनिधि	सह सदस्य	तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि(डेन्टल) एराज मेडिकल कालेज, लखनऊ द्वारा नामित एक प्रतिनिधि (मेडिकल)
	ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कांउसिलिंग कराये जाने हेतु एन0आई0सी0 से विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी	सह सदस्य	निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि
	परामर्शदाता		डा0 अनूप वर्मा, प्रोफेसर, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
	अतिरिक्त परामर्शदाता		श्री मुदित कुमार, सह-आचार्य, फार्मेसी, मेडिकल कालेज, कानपुर।

9. आरक्षण-

(क) आरक्षित वर्ग को अनुमन्य आरक्षण:-

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	ई0डब्ल्यू0एस0*	10 प्रतिशत

*आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या-1577/79-वि-1-20-1(क)-4-20 दिनांक 31.08.2020, जिसके माध्यम से उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 प्रकाशित किया गया है, के अनुसार अनुमन्य होगा। परन्तु ई0डब्ल्यू0एस0 का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा, जिनमें एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 द्वारा ई0डब्ल्यू0एस0 के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की गयी है।

- उपरोक्त वर्टिकल आरक्षण में निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा:-

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियो के लिए	20 प्रतिशत
5	'बी' ग्रेड सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन0सी0सी0 कैडेट	01 प्रतिशत

- अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2022 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिये।

- एम0सी0आई0 के पत्र दिनांक 16.03.2018 के साथ प्राप्त THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियो को 5 प्रतिशत आरक्षण किया गया है।
- भारत का राजपत्र एम0सी0आई0 की संशोधित अधिसूचना दिनांक 23.01.2018 "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन) 2017" के बिन्दु-6 "दाखिला, चयन, अंतरण और प्रशिक्षण" में उल्लिखित है कि शीर्षक के अंतर्गत अध्याय II में खण्ड 4 (3) में "चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला-पात्रता मापदंड" को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"4(3) विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, अर्हक परीक्षा में एक साथ जोड़कर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान (या वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान)/जीव-प्रौद्योगिकी में अर्हक परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत के बजाय 45 प्रतिशत होंगे तथा अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 हेतु 40 प्रतिशत होंगे।

- वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" की मेरिट सूची के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी। इस उद्देश्य के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गयी विनिर्दिष्ट विकलांगता परिशिष्ट-ज में संलग्न है। यदि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर, उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटो में शामिल किया जायेगा।
- उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों क्रमशः राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में "वर्टिकल" आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत किया गया हैः-

क्र	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटे	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
योग		**85**	**15**	**100**

- स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
- काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व काउंसिलिंग बोर्ड को होगा।

(ख) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके बायलॉज के अनुसार अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ग) स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर-प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू0जी0 2022 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(घ) शासनादेश संख्या-22सीएम/(1)/26-3-2013 दिनांक-10 जून, 2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या-03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी हैः-

बिन्दु संख्या-03 जहाँ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है, विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियाँ अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तद्नुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

बिन्दु संख्या-04 यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियाँ, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें उक्त जाति/श्रेणी को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

(ङ) रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश के अनुसार क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।

(च) उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछडा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियां भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि NEET यू0जी0-2022 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0 2022 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा।

10. प्रवेश प्रक्रियाः-

प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-अस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में बिन्दु-6 व 7 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैः-

(6.) The students who secure admission in MBBS course pursuant to the Common Counselling conducted by the State Government, at the time of common counselling itself, should be made to deposit with the admission/counselling committee the Demand Draft towards the fees payable to the Institution/College/University. The admission/counselling committee shall forthwith forward the Demand Draft to the respective Institution/Colleges/University. The necessity for including the above-mentioned requirement has arisen as it has been time and again noticed that when students report to the college after the counselling, they are refused admission by the colleges on some pretext or the other and it is shown by the college as if the student never reported to the college for admission. If the Demand Draft is deposited by the admission/counselling committee then there would be no scope for colleges to refuse admission to any student.

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों को नोडल सेन्टर बनाकर अभिलेखों का सत्यापन करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। प्रवेश के समय अभिलेखों का सत्यापन भी किया जाएगा, अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसी दशा में धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी।

(7.) In order to ascertain the number of seats that still remain vacant after the counselling the State Government or the authority designated by the State Government shall conduct manual counselling for allotment of students. After the completion counseling, the State Government shall determine the number

of seats that are still vacant and thereafter shall forward a list of students in order of merit, equaling to ten times the number of vacant seats to the medical college so that in case of any stray vacancy arising in any college the said seat may be filled up from the said list.

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में मॉपअप राउण्ड के पश्चात विभिन्न निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजो/विश्वविद्यालयों/ अल्पसंख्यक संस्थाओं में यू0जी0 सीटें रिक्त रहने पर रिक्त सीटों का 10 गुना, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम, द्वितीय तथा मॉपअप राउण्ड की कांउसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुयी हो और वह NEET यू0जी0-2022 में पंजीकृत हुए हों, की सूची मेरिट के आधार पर विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए संबंधित निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थाओं को प्रेषित की जायेगी।

- The conversion of seats will be carried out during the Mop-up round of seat allotment for State Quota. The said conversion will be done only when the condidates belonging to the said conversion category have exhausted. The algorithm for conversion of category is as follows:

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	CONVERSION CATEGORY	CATEGORY CONVERTED TO
1	ST (PwD)	ST
2	SC (PwD)	SC
3	UR(PwD)	UR
4	OBC (PwD)	OBC
5	EWS (PwD)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR
10	Minority	UR

11. बॉण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में-

शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2007 दिनांक 07.03.2018, शासनादेश संख्या-आई/129212/2022 दिनांक 05.01.2022 शासनादेश संख्या-आई/204130/2022/71-4099/1247/2019-4 दिनांक 23.08.2022 तथा शासनादेश संख्या-आई /224549/2022 दिनांक 13.10.2022 में प्रदान निर्देशो के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेजो/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा। बाण्ड की धनराशि रू0 10 लाख होगी। सेवा के स्थान के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि "यथासम्भव/यथवश्यकता महानगरो को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल संस्थाओं में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।"

12. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में-

1. NEET यू0जी0-2022 की ऑनलाइन काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख) तथा प्रति डेण्टल कालेजों से रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख) जमा कराया जाएगा, ताकि काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव हो सके।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर

प्रदर्शित करेंगे एवं अल्प-संख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।

13. कांउसिलिंगः-

काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक्र में सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के लिए अर्ह होंगे।

प्रथम चक्र से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की कांउसिलिग में प्रतिभाग कर सकेगे तथा इन्हे पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नही होगी। अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में Reshuffle कर सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जायेगी, Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश ली गयी सीट यथावत बनी रहेगी।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में सीट आंवटित हो जाती है, वह द्वितीय चक्र में उसी सीट का विकल्प न भरें। परन्तु यदि त्रुटिवश उसी सीट का विकल्प पुन: भर देता है तथा उसे प्रथम चक्र की आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है, तो उक्त अभ्यर्थी को पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी अन्यथा उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा और उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मॉपअप राउण्ड से भरा जायेगा।

14. मॉप-अप राउण्ड-

- माप-अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु NEET यू0जी0-2022 के अर्ह अभ्यर्थियों को रू0 1000/- पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुये एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें कोई आंवटन प्राप्त नही हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- माप-अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें NEET यू0जी0-2022 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- मॉप-अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर विचार नही किया जायेगा।
- यदि मॉप-अप राउण्ड के सम्पन्न होने के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकरण के समय ही विकल्प प्राप्त किया जायेगा और उक्त की सूची सम्बन्धित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- यदि अभ्यर्थी NEET-2022 से पूर्व की कांउसिलिंग के माध्यम से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित है, तो वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ मॉप-अप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकेगा। बी0डी0एस0 में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा मॉप-अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- इस आवंटन हेतु कोई पुनरावंटन (reshuffling) अनुमन्य नहीं होगा।

मॉप-अप राउण्ड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे-

1. NEET यू0जी0-2022 की प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/ अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
2. 15 प्रतिशत All India Quota के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी।

15. काउंसिलिंग हेतु समय सारणी-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा समय-सारिणी जारी कर दी गयी है जिसके अनुसार स्टेट कोटा की प्रथम चक्र की काउंसिलिंग दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 से 28 अक्टूबर, 2022 के मध्य सम्पन्न की जानी है।

16. अन्य दिशा-निर्देश-

1. सी0पी0एम0टी0 फण्ड नियमावली, 1997 के अनुसार NEET यू0जी0 की काउंसिलिंग में होने वाले व्यय के संबंध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-2974/71-2-12-69/2006 टी0सी0 दिनांक 29 अगस्त 2012 में निहित निर्देशानुसार परिधिगत कार्मिकों सहित चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के सम्बन्धित कार्मिकों को भी मानदेय देने की कार्यवाही की जायेगी।
2. धरोहर धनराशि की वापसी हेतु अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय ही उनका बैंक अकाउंट, IFSC कोड तथा बैंक का नाम पंजीकरण के समय प्राप्त किया जाएगा

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि (श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन) ।
2. सचिव, एन0एम0सी0/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
3. कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।
6. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
8. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
12. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
13. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।